

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुददेशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/
मुख्य अभियंता, चाण्डिल कम्पलेक्स/देवघर/राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक :- 19.3.2019

विषय :- मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग, योजना मुख्य शीर्ष-4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-01-बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र योजना, उप शीर्ष-58-नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45 निर्माण कार्य, विपत्र कोड-49S471101796580545, के अंतर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष-2018-19 में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4711 - बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

(लाख रु० में)						
क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड	अवशेष बजट उपबंध से आवंटित राशि	प्राप्त प्रत्यार्पण से आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)
1.	49-जल संसाधन विभाग 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय/01-बाढ़ नियंत्रण,	796-जनजातीय क्षेत्र योजना, उप शीर्ष-58-नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का कार्यान्वयन	05-निर्माण 45 निर्माण कार्य / विपत्र कोड 49S471101796580545	0.06488	131.23512	131.30000

आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ एकतीस लाख तीस हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2018-19 के (पुनरीक्षित) बजट उपबंध रु. 1100.00 लाख (ग्यारह करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1363 दि. 09.05.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत / अनुरूप किया जायेगा।
- उक्त आवंटित राशि परिशिष्ट-2, में वर्णित प्रत्यार्पण स्वीकृत करते हुये निर्गत किया जा रहा है।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1

7. सरकारी नियम/ अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
 8. राशि की निकासी कर उसे चालू / बचत खाता में नहीं रखा जाय।
 9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
 10. इस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
 11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/ वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/ सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता/ कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
 12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
 13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2019 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
- नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त



(अरुण कुमार सिंह) 19.3.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 220

राँची, दिनांक :- 19.3.2019

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो.- हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/जमशेदपुर/साहेबगंज/देवघर/दुमका सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।



(अरुण कुमार सिंह) 19.3.19
अपर मुख्य सचिव


ज्ञापांक :- 220


राँची, दिनांक :- 19.3.2019


प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव


(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1


(अरुण कुमार सिंह) 19.3.19
अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक-220

दिनांक 19.3.2019

का अनुदानक

परिशिष्ट - 1

माना संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष-01-बाढ़ नियंत्रण

लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना

उप शीर्ष-58-नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का कार्यान्वयन

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45 निर्माण कार्य

विपत्र कोड- 49S471101796580545

वित्तीय वर्ष 2018-19 में पुनरीक्षित बजट उपबंध रू. 1100.00 लाख (प्यारह करोड़) मात्र।

(राशि लाख रूपये में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2018 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बराज प्रमंडल, गालूडीह (JSRRR074)	चाण्डिल	जिला-पूर्वी सिंहभूम, प्रखंड-बरहरागोड़ा अंतर्गत ग्राम बामडोल नहुलडुंगरी में सुवर्णरेखा नदी के बाँये तट पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य में Anti Flood Sluice Gate का निर्माण कार्य	06/18-19 दिनांक-10.05.2018 Online AA- 392/11.05.2018	186.270	0.00	0.00	50.00	50.00	103734	
2	सिंचाई प्रमंडल, बरहड़वा (RJMRR001)	देवघर	साहेबगंज जिलान्तर्गत बरहरवा प्रखण्ड के हरिहरा पंचायत में सेराजुल के घर से कादोपाड़ा सीढ़ी घाट तक गुमानी नदी पर 350 मी0 में बोल्टर क्रेटिंग कार्य।		177.53	0.00	147.00	9.38	156.38		
			साहेबगंज जिलान्तर्गत बरहरवा प्रखण्ड में हरिनापाड़ा पंचायत के जुहुबोना कुकरीटोला क्लमाल के घर से पुराना क्रेटिंग तक गुमानी नदी पर 250 मी0 के बोल्टर क्रेटिंग कार्य	05/18-19, प्र.स्वी. दिनांक-03.05.2018 Online AA- 291/05.05.18	122.67	0.00	100.00	10.25	110.25	103740	
			साहेबगंज जिलान्तर्गत बरहरवा प्रखण्ड में मधुवापाड़ा पंचायत के मधुवापाड़ा ग्राम में पूर्व से कराये गये कार्य का 200 मी में पुनर्स्थापन कार्य		52.02	0.00	50.00	1.67	51.67		
3	जलपथ प्रमंडल संख्या-1, चक्रधरपुर (SGHRR016)	राँची	पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मनोहरपुर प्रखंड में कोयना नदी से काशीपुर गाँव के पास हो रहे कटाव निरोधक कार्य		69.800	0.00	0.00	60.00	60.00	103742	
आवंटित राशि — ₹ एक करोड़ एकतीस लाख तीस हजार मात्र।						योग	297.00	131.30	428.30		

आवृत्ति राशि - ₹ एक करोड़ एकतीस लाख तीस हजार मात्र।

(राजेंद्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव(हिमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

19.3.19

विभागीय पत्रांक 220

दिनांक 19.3.2019

का अनुलनक

परिशिष्ट - 2

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिचय

उप मुख्य शीर्ष-01-बाढ़ नियंत्रण

लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना

उप शीर्ष-58-नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का कार्यान्वयन

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45 निर्माण कार्य

विपत्र कोड- 49S471101796580545

वित्तीय वर्ष 2018-19 में पुनरीक्षित बजट उपबंध रू. 1100.00 लाख (ग्यारह करोड़) मात्र।

(साक्षि लाख रुपये में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2018 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	प्रस्तावित राशि	संशोधित आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	गंगा पम्प नहर प्रमंडल, साहेबगंज (SBJARR016)	देवधर	साहेबगंज जिलान्तर्गत राजमहल प्रखण्ड में गंगा नदी के दाये तट पर फेरीघाट, राजमहल के पास कटाव निरोधक कार्य का प्रस्ताव (कटाव की लम्बाई 360 मी०)	05/18-19, प्र.स्वी. दिनांक-03.05.2018 Online AA-291/05.05.18	339.12	0.00	256.00	187.27	68.73	87844	
योग							256.00	187.27	68.73		
क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कुल प्रत्यापित राशि - ₹ एक करोड़ सतासी लाख सताईस हजार मात्र।											

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कुल प्रत्यापित साक्षि - ₹ एक करोड़ सतासी लाख सताईस हजार मात्र।

(राजेंद्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव(हिमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

19.3.19